



2026:AHC-LKO:12277-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 1473 सन 2026

छोटेलाल

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग
लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	राम सागर, अवधेश मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अजय कुमार सिंह राज

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

1. हमारे द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. इस रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य राहत(ओं) की मांग की है:-

"(i) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश प्रतिवादियों विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4 को सिविल जज (जूनियर डिवीजन), कादीपुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा सिविल वाद संख्या 167 / 2003 (बुद्धू बनाम नगर पंचायत और अन्य) में दिनांक 09.04.2003 को पारित आदेश का सख्ती से पालन करने और अनुपालन करने का आदेश जारी करें।"

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश, प्रतिवादियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् कार्यकारी अधिकारी, नगर पंचायत को विवादित भूमि पर कोई निर्माण न करने या अतिक्रमण न करने का आदेश जारी करें।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(III) एक रिट, आदेश या निर्देश जिसमें प्रतिवादियों को विवादित भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को तुरंत रोकने और हटाने का आदेश जारी करें।”

3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 9 अप्रैल 2003 के अस्थायी निषेधाज्ञा के कथित उल्लंघन के लिए आदेश XXXIX नियम 2 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पहले ही एक आवेदन दायर किया है।
4. यदि उपरोक्त कार्यवाही लंबित है, तो हमें ऐसे मामले में रिट याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं दिखता।
5. तदनुसार, याचिकाकर्ता को लंबित मुकदमे में उक्त कार्यवाही जारी रखने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 17, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।